12/12/15

वकील प्रतिवादीगण हाजिर। प्रार्थी मालतीराम ने उपरोक्त अपील श्री देवीदत्त वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत अपील अं.आ.अ. 1&10 etc. पर अपील प्रतिवादीगण ने अनावश्यक तथा गलत अपील व अपील 1&10 etc. निरस्त कर प्रार्थी मालतीराम को अपरपीडित के रूप में पक्षकार होने से वंचित किया जाकर है। मिसल राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। सुप्रसिद्ध शीर्षक पेश किया जो मान लिया है। वकील वादीगण व प्रतिवादी मालतीराम की अपनी रजामंदी से वाद के प्रारम्भिक डिक्री जारी करा चुके हैं। अतः अपील नहीं चलाना नहीं चाहते हैं अतः मुकदमा चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील खारिज वकील प्रतिवादीगण द्वारा नहीं चलाने से खारिज किया जाने के आदेश दिया जाता है। मिसल फैसला शुमार होकर अभिलेख करें।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ